सं०सं०–1 / विविध–01–20 / 2006 (खंड–1).....21.....(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक :

संजय कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,

नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,

पटना।

पटना, दिनांक– 03 / 05 / 2012

विषयः–नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में अधीक्षक आवास, इनसिनेटर भवन का निर्माण एवं 202 शैय्या वाले नर्सेज छात्रावास के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 4,04,99,600 / – (चार करोड़ चार लाख निन्यानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना के लिए 4,83,95,075 / –(चार करोड़ तेरासी लाख पनचानवे हजार पचहतर रूपये) की तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त होने के कारण शेष राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना से कुल रू० 83,43,201 / –(तेरासी लाख तेतालीस हजार दो सौ एक रुपये) के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या 427(1) दिनांक 18.5.2006 द्वारा नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में अधीक्षक आवास, इनसिनेटर भवन का निर्माण एवं 202 शैय्या वाले नर्सेज छात्रावास के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 4,04,99,600 / – (चार करोड़ चार लाख निन्यानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृत प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त स्वीकृति योजना की शेष राशि कुल रू० 83,43,201 / –(तेरासी लाख तेतालीस हजार दो सौ एक रुपये) के आवंटन की स्वीकृति राज्य योजना से दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 / वि०(2), दि०–17.04.98, 2880 / वि०(2), दि०– 06.05.06, 96 / वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190 / वि०(2) दि०–17.03.08, 2938 / वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388 / वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होंगे।

4. उपरोक्त कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्व से कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्यादेश संख्या 427(1) दिनांक–18.5.2006 में निहित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस राशि का वहन मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषद्यालय–0103–नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, माँग संख्या–20 विपत्र कोड P 4210011100103 राज्य योजना स्कीम कोड HEA-5132 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना आय व्ययक में 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से की जायेगी। राशि का उपबंध एवं आवंटन की विवरणी निम्नवत है :–

मद	वर्त्तमान उपबंध	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	शेष उपबंध
53 01 मुख्य निर्माण कार्य	1,00,00,000	4,00,51,874	83,43,201	16,56,799

(तिरासी लाख तेतालीस हजार दो सौ एक रूपए) मात्र

6. अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना इस राशि को नगद नहीं बल्कि कोषागार फार्म संख्या–46 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन निर्माण प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना को डिवीजन कोड PTN/BLD-047 के अंतर्गत वर्क्स डिपोजिट शीर्ष K8782001020002 में खाता अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

7. अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना राशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि यह राशि वस्तुतः देय है या नहीं।

3/5/2012.

क्रमशः

8. भवन निर्माण विभाग राशि को वर्क डिपोजिट शीर्ष में लेकर कार्य को करायेंगे। इस राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को सीधे भेजेंगे तथा उसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग एवं अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है। राशि निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

3/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/विविध–01–20/2006 (खंड–1)...21...(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक– 03/05/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/विविध–01–20/2006 (खंड–1)...21...(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक– 03/05/2012

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल भवन निर्माण विभाग, पटना को उनके ज्ञापांक 202 दिनांक 18.04.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

3/5/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।